

24 $\frac{12}{19}$

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपाय ग्राहक
वाक्यावली पर बहस वकील पक्षी सुनी गयी।
युक्ति पक्षी या पक्षी है अधिवक्ता द्वारा निम्न तरीके
पक्षी पर न्यायालय दाना में अनुपस्थित रहने का मूल
ग्राहक O9, R.13 CPC खारिज किया गया था।
दस्तावेज पत्रावली में वकील पक्षी द्वारा अपनी या पक्षी
की अनुपस्थित का कोई संतोषजनक पत्रावली उपस्थित
नहीं किया है। अतः ग्राहक अनुपस्थित खारिज
किया गया है। पत्रावली फौजदारी शुमार दाना नम्बर
से कत है तथा बात तत्परील दायित्व दफ्तर है।
निर्णय खुले न्यायालय में पुनाया गया।



(Signature)
(रमणीत सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला